मध्य प्रदेश शासन
वित्त विभाग
मंत्रालय, भोपाल

क्रमांक 1749/2015/डीएमसी/ब-7 भोपाल, दिनांक 15/10/2015

प्रति,

अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव
मध्यप्रदेश शासन
शासन के समस्त विभाग
मंत्रालय, भोपाल।

विषय :- वित्तीय वर्ष 2015-16 में मितव्ययता के उपाय।

..0..

उपर्युक्त विषयांतर्गत लेख है कि इस वर्ष प्रदेश के एक बड़े भू-भाग में मानसून वर्षा के कमजोर रहने के कारण खरीफ फसल पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। इससे प्रभावित किसानों को राहत देने के लिये अतिरिक्त वित्तीय संसाधनों की तत्काल आवश्यकता निर्मित हुई है, इस हेतु वर्ष 2015-16 के लिये आयोजनेत्तर मद में विभागों को कार्यालय व्यय, वाहनों के क्रय तथा परामर्शी सेवा उद्देश्य शीर्ष अंतर्गत उपलब्ध कराई गई बजट राशि में निम्नानुसार कटौती की जाती है :-

(1) उद्देश्य शीर्ष- 22 कार्यालय व्यय अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2014-15 में हुये वास्तविक व्यय की सीमा तक वर्ष 2015-16 के लिये बजट आवंटन सीमित किया जाता है।

(2) उद्देश्य शीर्ष परामर्शी सेवा के लिये वित्तीय वर्ष 2014-15 में हुये वास्तविक व्यय की सीमा तक 2015-16 में उपलब्ध कराये गये बजट आवंटन को सीमित किया जाता है।

(3) वित्तीय वर्ष 2015-16 की शीर्ष अवधि में उद्देश्य शीर्ष- 23 वाहनों का क्रय तत्काल प्रभाव से प्रतिबंधित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

अजीत
(ए.पी.श्रीवास्तव)
अपर मुख्य सचिव
मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग

पृ. क्रमांक 1750/2015/डीएमसी/ब-7 भोपाल, दिनांक 15/10/2015

प्रतिलिपिः-

विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी,सह आयुक्त संचालनालय, कोष एवं लेखा, पर्यावास भवन, भोपाल की ओर सूचित कर प्रश्नाधीन बजट शीर्ष के बजट सीमा को परिपत्र में उल्लेखित सीमा तक सीमित करने का अनुरोध है ।

15/X/2015

(वीरेन्द्र कुमार)
उप सचिव
मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग